

प्रेषक,

डॉ० सत्य प्रकाश तिवारी,  
अनु सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,  
नागरिक उड्डयन,  
उ०प्र०, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन विभाग

लखनऊ : दिनांक: 15 मार्च, 2019

विषय: रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के अन्तर्गत चयनित अलीगढ़ एवं आजमगढ़ एयरपोर्ट के विकास हेतु द्वितीय किशत की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक- 663/ना०उ०नि०/2019 दिनांक 06 मार्च, 2019 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के अन्तर्गत चयनित अलीगढ़ एवं आजमगढ़ एयरपोर्ट के विकास हेतु द्वितीय किशत के रूप में रू० 1482.056 लाख (रुपया चौदह करोड़ बयासी लाख पाँच हजार छः सौ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति जारी करने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के अन्तर्गत चयनित अलीगढ़ एवं आजमगढ़ एयरपोर्ट को नो-फ्रिल्स एयरपोर्ट्स के रूप में विकसित किए जाने हेतु कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा गठित आगणन रू० 4232.97 लाख (रू० 2088.22 लाख + रू० 2144.75 लाख ) के सापेक्ष परीक्षणोपरान्त प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा उक्त परियोजनाओं की लागत रू० 3705.14 लाख + जी०एस०टी० वास्तविकता के आधार पर देय (रू० 1883.65 लाख अलीगढ़ एयरपोर्ट हेतु + रू० 1821.49 लाख आजमगढ़ एयरपोर्ट हेतु + जी०एस०टी० वास्तविकता के आधार पर देय) ऑकलित की गई है। शासनादेश संख्या-84/2018/1493/छप्पन-2018-18/02 टी.सी. दिनांक 14 अगस्त, 2018 द्वारा उक्त दोनों परियोजनाओं हेतु रू० 3705.14 लाख पर प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किशत के रूप में रू० 1482.056 लाख (रूपे चौदह करोड़ बयासी लाख पाँच हजार छः सौ मात्र) की धनराशि अवमुक्त की गई है। प्रशासकीय रूप से अनुमोदित की गई प्रथम किशत की उक्त धनराशि का 75 प्रतिशत उपयोग होने के उपरान्त अनुमोदित कुल धनराशि रू० 3705.14 लाख में से द्वितीय किशत के रूप में 40 प्रतिशत धनराशि रू० 1482.056 लाख (रूपे चौदह करोड़ बयासी लाख पाँच हजार छः सौ मात्र) अवमुक्त की जानी है।

3- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के अन्तर्गत चयनित अलीगढ़ एवं आजमगढ़ एयरपोर्ट को नो-फ्रिल्स एयरपोर्ट के रूप में विकसित किए जाने हेतु द्वितीय किशत के रूप में रू० 1482.056 लाख (रूपे चौदह करोड़ बयासी लाख पाँच हजार छः सौ मात्र) (रू० 753.46 लाख अलीगढ़ एयरपोर्ट हेतु + रू० 728.596 लाख आजमगढ़ एयरपोर्ट हेतु) की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए द्वितीय किशत के रूप में उक्त धनराशि को चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में व्यय की सहर्ष स्वीकृति निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

2/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- (1) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 30 मार्च, 2018 के प्रस्तर-2(11)(छ) में उल्लिखित व्यवस्था का अनुपालन निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाएगा।
  - (2) पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या- 84/2018/1493/छप्पन-2018-18/02 टी.सी. दिनांक 14 अगस्त, 2018 में इंगित नियम एवं शर्तें यथावत् रहेंगी।
- 4- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के अनुदान संख्या-38 के पूंजीगत लेखाशीर्षक "5053- नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय-02-विमानपत्तन-800-अन्य व्यय-20 हवाई पट्टियों के निर्माण, विस्तार एवं सुदृढीकरण तथा भूमि अर्जन-24 वृहत निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।
- 5- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या:1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018 दिनांक 30 मार्च, 2018 में दिए गए प्राधिकार के अन्तर्गत निर्गत किए जा रहे हैं।

भवदीय,  
डॉ० सत्य प्रकाश तिवारी  
अनु सचिव।

संख्या: 27/2019/610(1)/छप्पन-2019 तद्विनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- (1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उ०प्र०, प्रयागराज।
- (2) उप महालेखाकार/ई०एस०-1।।। आडिट भवन टी०सी०-35-वी-1 विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
- (3) जिलाधिकारी, अलीगढ़/आजमगढ़।
- (4) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/ अलीगढ़/आजमगढ़।
- (5) प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राजकीय निर्माण निगम लि०, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
- (6) निजी सचिव, मा० नागरिक उड्डयन मंत्री, उत्तर प्रदेश।
- (7) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
- (8) समीक्षा अधिकारी (बजट)।
- (9) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,  
डॉ० सत्य प्रकाश तिवारी  
अनु सचिव।